यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) **III,** राज्य कर हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) **III,** राज्य कर हरिद्वार के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री वजय कुमार मौर्या लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21.12.2017 से 30.12.2017 तक श्री के.एल0 भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री सराज हुसैन, एवं श्री प्रवीण कुमार अ धकारियों द्वारा दिनांक 01.12.2016 से 16.12.2016 तक श्री एन.के. सन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः शवा लक नगर, बहदराबाद, हरिद्वार।

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख में)
2014-15	1424.92
2015-16	1032.53
2016-17	1601.47

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....ए.... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर - डप्टी क मश्नर - सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) **III,** राज्य कर हरिद्वार को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) **III,** राज्य कर हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

लागू नहीं

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -2 **'ब'**

<u>प्रस्तर 01-</u> कर का न्यूनारोपण ` **0.83** लाख

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(आ) मे यह प्रावधान कया गया है, क अनुसूची - II (ख) मे वनिर्दिष्ट माल के संबंध मे 4 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है। इस पर दिनांक 01.04.2010 से 0.5% की दर से अतिरिक्त कर भी देय है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खंड -3, राज्य कर, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे यह उदघटित हुआ क व्यौहारी सर्वश्री ब्रह्म ऋ ष बेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की बिक्री ` 1,66,20,677 की घो षत की गयी थी जिस पर कर निर्धारण अ धकारी द्वारा 4 प्रतिशत की दर से ` 6,64,827 का कर आरो पत कया गया था। जब क इस बिक्री पर 4.5 प्रतिशत की दर से कर ` 7,47,930 आरो पत कया जाना था। इस प्रकार ` 83,103 (` 7,47,930 – ` 6,64,827) का कम कर आरो पत कया गया था। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा धारा 30 के अंतर्गत कार्यवाही कर अवगत करने का आश्वाशन दिया गया।

प्रकरण कार्यवाही हेतु संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग -2 **'ब'**

<u>प्रस्तर 02 -</u> आई टी सी रिवर्स नहीं किए जाने से राजस्व क्षति 0.93 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6 (8) (च) मे यह प्रावधान किया गया है, कि पूँजीगत माल से भिन्न माल के क्रय की निम्न दशाओं में इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा माल जो विक्रय के रूप से अन्यथा राज्य के बाहर अंतरित होता है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खंड -3, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे यह उद्घटित हुआ कि व्यापारी सर्वश्री अभिषेक प्रिंट लाइन टिन संख्या 05006437236 द्वारा वर्ष 2013-14 मे कुल खरीद ` 28,25,705 (` 11,01,631 प्रांतीय + ` 17,24,074 आयातित ) घोषित किया गया था। प्रांतीय खरीद मे ` 11,01,631 पर व्यापारी द्वारा ` 72,458 का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया है। संगत वर्ष मे व्यापारी द्वारा कुल बिक्री ` 81,31,200 की घोषित की गयी थी जिसमे ` 1,09,140 प्रांतीय, ` 35,07,060 की बिक्री केंद्रीय तथा ` 45,15,000 का स्टाक ट्रान्सफर किया गया था। स्टाक ट्रान्सफर कुल खरीद का 55.53 प्रतिशत (` 45,15,000 * 100/` 81,31,200) था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टाक ट्रान्सफर के सापेक्ष ` 40236 (` 74458 * 55.53 प्रतिशत) इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स नहीं किया गया था। अतः इनपूट टैक्स क्रेडिट ` 40,236 की रिवर्स न किए जाने से राजस्व क्षति हुई।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा धारा 30 के अंतर्गत कार्यवाही कर अवगत करने का आश्वासन दिया गया।

(2) उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6 (7) (क) (v) मे यह प्रावधान किया गया है, कि पूँजीगत माल से भिन्न माल के क्रय की निम्न दशाओं में इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा **जब** माल कर मुक्त माल या अनुसूची–III में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या ऐसी सेवायें या व्यापारिक कार्यकलाप जो इस अधिनियम के अधीन कर के लिये दायी नहीं हैं, को उपलब्ध कराने में उपयेाग किया गया है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खंड -3, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे यह उद्घटित हुआ कि व्यापारी सर्वश्री विजय इण्डस्ट्रीयल टिन संख्या 05006369530 द्वारा वर्ष 2013-14 मे ` 30,82,449 का हार्ड वेयर तथा ` 16,78,247 का सैनिटरि गूड्स की खरीद घोषित किया गया था जिस पर क्रमशः ` 1,54,122 ( 5 प्रतिशत ), ` 2,26,563 (13.5 प्रतिशत) कुल ` 3,80,685 का आई टी सी देय था। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ` 4,25,474 का आई टी सी का लाभ दिया गया था। इस प्रकार ` 44,789 का अधिक आई टी सी का लाभ व्यापारी को अनुमन्य किया गया था। उक्त के अतिरिक्त व्यापारी द्वारा ` 23,928 की lubricant की खरीद पर 20 प्रतिशत की दर से ` 4,785 का आई टी सी का लाभ भी दिया गया था। जबकि

lubricant अनुसूची-III मे विनिर्दिष्ट वशेष प्रवर्ग का माल है जिस पर आई टी सी देय नहीं है। इस प्रकार ` 52,574 की आई टी सी रिवर्स योग्य है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगत कए जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराये जाने का आश्वाशन दिया गया।

प्रकरण कार्यवाही हेतु संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग -2 **'ब'**

<u>प्रस्तर 03-</u> कर का न्यूनारोपण ` **0.94** लाख

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खंड -3, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे यह उद्‌घटित हुआ क व्यापारी सर्वश्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी टिन संख्या 05006471089 द्वारा वर्ष 2013-14 मे व्यापारी द्वारा 13.5 प्रतिशत वाली वस्तु का ट्रेडिंग A/c निम्नवत दर्शाया गया था ।

प्रा0 अवशेष	क्रय	बिक्री	अंतिम अवशेष
21,81,260	15,97,383 + 69980	9,34,493	22,15,319

व्यापारी द्वारा ` 14,49,514 का सकल लाभ भी दर्शाया गया है। जबक 13.5 प्रतिशत की दर की वस्तुओ मे ` 6,98,811 की बिक्री लाभांश रहित कम घोषत की गयी है। क्योक प्रा0अवशेष +क्रय-अंतिम अवशेष (` 21,81,260 + ` 15,97,383+` 69,980 – ` 22,15,319= ` 16,33,304) कुल बिक्री ` 16,33,304 की होनी चाहिए जबक व्यापारी द्वारा ` 9,34,493 की बिक्री ही घोषत की गयी है। इस प्रकार ` 6,98,811 लाभांश रहित (` 16,33,304 - ` 9,34,493) की घोषत कम बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से ` 94,339 (` 6,98,811 * 13.5 प्रतिशत) का कर व्यापारी पर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगत कए जाने पर वभाग द्वारा धारा 30 के अंतर्गत कार्यवाही कर अवगत करने का आश्वाशन दिया गया।

प्रकरण कार्यवाही हेतु संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग -2 **'ब'**

प्रस्तर-04 कर का अनारोपण `30.64 लाख

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खंड -3, राज्य कर, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे यह उद्घटित हुआ क सं वदाकार सर्वश्री भारद्वाज इलेक्ट्रिकल हरिद्वार टिन संख्या `05001758344 द्वारा वर्ष 2013-14 मे `47,97,950 की मशीन 02 फार्म 16 का प्रयोग करके आयातित कया गया था। सं वदाकार द्वारा बैलेन्स शीट उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे उक्त मशीन को फ़क्स्ड एसेट मे होना स्पष्ट नहीं था अतः उक्त मशीन को बिक्री मानते हुए ` 6,47,724 का (` 47,97,950 * 13.5 प्रतिशत) कर सं वदाकार पर आरोपणीय था।

(2) व्यापारी सर्व श्री ए मनेंट इंजीनीयर्स हरिद्वार टिन संख्या - 05009771902 द्वारा वर्ष 2011-12 मे प्रांत के बाहर से ` 78,66,694 की मशीनरी का आयात कया गया था। पत्रवाली पर बैलेन्स शीट उपलब्ध नहीं थी। उक्त मशीन को फ़क्स्ड एसेट मे होना स्पष्ट नहीं था। व्यापारी मशीनरी पार्ट्स का वक्रेता है। अतः उक्त मशीन को बिक्री मानते हुए ` 10,62,004 (` 78,66,694 * 13.5 प्रतिशत) का कर व्यापरी पर आरोपणीय था। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

(3) व्यापारी सर्वश्री एम डी प्रंटिंग एवं पैकेजिंग टिन संख्या -050133431518 द्वारा वर्ष 2013-14 मे व्यापारी द्वारा ` 98,46,375 की प्लांट एवं मशीनरी तथा ` 4,99,458 का अदर्स माल का आयातित क्रय की गया है। कर निर्धारण पत्रवाली में बैलेन्स शीट संलग्न नहीं था, न ही कर निर्धारण आदेश मे उक्त प्लांट एवं मशीनरी के संबंध मे कोई टिप्पणी की गयी थी। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष ` 46,00,000 की पुरानी मशीनरी की बिक्री की गयी थी। बैलेन्स शीट के अभाव मे उपरोक्त प्लांट एवं मशीनरी का फ़क्स्ड एसेट मे होना स्पष्ट नहीं था। अतः उक्त प्लांट एवं मशीनरी को बिक्री मानते हुए ` 13,29,261 (98,46,375 * 13.5 प्रतिशत) एवं ` 24973 (4,99,458 * 5 प्रतिशत ) कुल ` 13,54,234 का कर व्यापारी पर आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया क बैलेन्स शीट प्राप्त कर उपलब्ध करा दी जाएगी।

प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग -2 **'ब'**

प्रस्तर-05 **कर के अनारोपण से राजस्व क्षति 0.51 लाख**

कार्यालय सहायक आयुक्त (क०नि०), खंड -3, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे यह उद्घटित हुआ कि संविदाकार सर्वश्री सोमपाल संह टिन संख्या 05010985760 द्वारा वर्ष 2013-14 मे कर निर्धारण आदेश मे M/s Executive Engineer Irrigation Division PWD & PIU PMGSY Kotdwar द्वारा TDS कटौती प्रारूप-08 (026167) के अनुसार संविदाकार को सकल भुगतान 1,19,09,659 का किया गया था। जिस पर टी डी एस निम्नानुसार काटा गया था।

संविदा संख्या	सकल भुगतान की धनराशि	TDS कटौती की धनराशि	TDS की धनराशि
31/SE/13-14	4013270	6 %	240796
-----do----	6584376	2 %	131688
-----do-----	1312013	2 %	26240
	1,19,09,659		398724

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण करते समय सकल भुगतान की धनराशि ` 1,19,09,659 के स्थान पर ` 93,76,276 ही लिया गया था। इस प्रकार सकल भुगतान की अंतरीय धनराशि ` 25,33,383 पर कर आरोपण नहीं किया गया था। अतः धनराशि ` 25,33,383 पर 2 प्रतिशत की दर से ` 50,668 का कर सविदाकार पर और आरोपणीय था।संविदाकार को अधिक वापसी धनराशि ` 2,33,809 मे से ` 50,668 की धनराशि वसूली योग्य थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा नोटिस जारी कर व्यापारी से प्राप्त तथ्यो की जांच कर कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण कार्यवाही हेतु संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग -2 **'ब'**

प्रस्तर-06 **कर के अनारोपण से राजस्व क्षति 0.13 लाख**

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के प्रावधानों के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओं की बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खंड -3, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे यह उद्घटित हुआ कि व्यापारी सर्वश्री एस एस ट्रेडर्स हरिद्वार टिन संख्या 05006633370 द्वारा वर्ष 2013-14 मे ` 2,15,700 की केंद्रीय बिक्री किया जाना घोषित किया गया था। जिसके समर्थन मे पत्रावली पर फार्म सी फार्म संलग्न किया गया था। उक्त फार्मो मे `1,16,586 का फार्म वर्ष 2014-15 से संबन्धित था एवं उक्त फार्म पर बिल सख्या 1983 दिनांक 30.11.14 चस्पा किया था। अतः फार्म सी के अभाव मे `116586 पर 11.5 प्रतिशत ( 13.5 प्रतिशत - 2 प्रतिशत) की अन्तरीय दर से `13407 का कर आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराये जाने का आश्वाशन दिया गया।

प्रकरण कार्यवाही हेतु संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग -2 **'ब'**

प्रस्तर-07 **समाधान कर राशि के कम आरोपण से राजस्व क्षति ` 1.12 लाख**

उत्तराखंड शासन के परिपत्र संख्या 380/2013/XXVIII(8)/14 (120) 2013 दिनांक 28.03.2013 के अनुसार वर्ष 2013-14 मे यदि संवदाकार द्वारा केंद्रीय पंजीयन निरस्त कए जाने हेतु आवेदन कया जाए तो 2 प्रतिशत की दर से समाधान शुल्क देय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खंड -3, राज्य कर, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे यह उद्घटित हुआ क संवदाकार सर्वश्री भारद्वाज इलैक्ट्रिकल हरिद्वार टिन संख्या 05001758334 द्वारा वर्ष 2013-14 के लए कए गए कार्य के सापेक्ष `34,21,502 का सकल भुगतान प्राप्त हुआ था। इस धनरा श पर 2 प्रतिशत की दर से ` 64,430 का समाधान शुल्क निर्धारित कया गया था। जब क संवदाकार द्वारा संगत वर्ष मे ` 47,97,950 का माल प्रांत के बाहर से फॉर्म 16 का प्रयोग करके आयातित कया गया था एवं संवदाकार द्वारा केंद्रीय पंजीयन निरस्त कराये जाने संबंधी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। अतः ` 34,21,502 की धनरा श पर अंतरीय कर 2 प्रतिशत (4 प्रतिशत - 2 प्रतिशत) ` 64,430 का कर आरोपणीय था।

(2) कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खंड -3, राज्य कर, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे यह उद्घटित हुआ क संवदाकार सर्वश्री इकरार अहमद टिन संख्या 05001813149 द्वारा वर्ष 2013-14 मे ` 23,79,398 का शुद्ध भुगतान प्राप्त हुआ था। इस धनरा श पर 2 प्रतिशत की दर से ` 47,588 का समाधान शुल्क निर्धारित कया गया था। जब क संवदाकार द्वारा संगत वर्ष मे ` 1,01,795 का माल प्रांत के बाहर से फॉर्म 16 का प्रयोग करके आयातित कया गया था। जिससे स्पष्ट था क संवदाकार का केंद्रीय पंजीयन निरस्त नहीं था अतः अंतरीय समाधान रा श 2 प्रतिशत (4 प्रतिशत- 2 प्रतिशत) 47,588 का कर संवदाकार पर आरोपणीय था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगत कए जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराये जाने का आश्वाशन दिया गया।

प्रकरण कार्यवाही हेतु संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
SRA/CT-40/2011-12	2	1,2,3,5,8,9,10,11,12
CT-36/2013-14	1,2,3	STAN 01,02,03
35-CT-2014-15	-	01,02
RS/CT-29/2016-17	01	01,02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) **III,** राज्य कर हरिद्वार तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री अवधेश कुमार पाण्डेय	सहायक आयुक्त
(ii)	सुश्री गुलरेज रजवी	सहायक आयुक्त

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) **III,** राज्य कर हरिद्वार को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र